धारा 4 : अधिकारियों की नियुक्ति

(1) बोर्ड, धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझे।

(2) बोर्ड, इस अधिनियम के प्रशासन के लिए, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा, धारा 3 के खंड (क) से खंड (ज) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को केन्द्रीय कर सहायक आयुक्त के नीचे की पंक्ति के केन्द्रीय कर अधिकारियेां की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।